बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 186087 पटना, दिनांक 23/05/2014

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(Mon.)-102-30/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) की संविदा आधारित नियोजन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत होंगे कि इंदिरा आवास के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कार्मिक बलों की आवश्यकता को देखते हुए प्रखण्डों में संविदा के आधार पर ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) की नियोजन की कार्रवाई दिनांक 15.02.14 तक पूर्ण कर लेने का निदेश दिया गया था । उक्त के आलोक में लगभग 21 जिलों द्वारा विभाग को नियोजन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए आवेदकों को नियोजन पत्र हस्तगत कराने की जानकारी दी गयी, किन्तु कतिपय जिलों में नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन रह जाने तथा इस बीच लोकसभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप नियोजन की कार्रवाई को चुनाव संपन्न होने तक स्थगित कर दिया गया था ।

अब चुनाव संपन्न हो चुका है और नियोजन से संबंधित कार्रवाई जो लंबित रह गये हैं उन्हें अविलम्ब पूरा करते हुए आवेदकों को दिनांक 31.05.2014 तक नियोजन पत्र हस्तगत करा दिया जाना आवश्यक है ताकि आगामी माह से इनकी सेवाओं का उपयोग योजनाओं के कार्यान्वयन में हो सके । इसी क्रम में नियोजन से संबंधित अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में विभाग को दिनांक 01.6.14 को ई-मेल के माध्यम से misrddbihar@gmail.com पर संध्या 5.00 बजे तक उपलब्ध करा दिया जाय :-

प्रपत्र

पद का नाम	जिला के लिए अनुमान्य पदों की संख्या	प्रमाण पत्र सत्यापित आवेदकों की सं0	वितरित नियोजन पत्र की सं0	योगदान किये गये आवेदकों की सं0	अभ्युक्ति
ग्रामीण आवास सहायक					
ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक					
लेखा सहायक (ग्रामीण आवास)					

विभाग को ऐसी सूचना मिल रही है कि जिलों द्वारा नियोजित कार्मिकों को गृह प्रखण्ड/पंचायत में पदस्थापित किया जा रहा है, यह कार्रवाई योजना के पारदर्शी रूप से कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से उचित नहीं है । विशेष परिस्थिति में महिला एवं नि:शक्त व्यक्ति को गृह प्रखण्ड में पदस्थापित करने पर विचार किया जा सकता है किन्तु किसी भी परिस्थिति में गृह पंचायत में पदस्थापित नहीं किया जायेगा । यदि पूर्व में गृह प्रखण्ड/पंचायत में पदस्थापन किया गया है तो एक सप्ताह के अंदर उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार नये ढंग से पदस्थापन किया जाय ।

आप अवगत हैं कि संविदा पर नियोजित कर्मियों से एकरारनामा किया जाना है तथा प्रतिभूति की राशि के रूप में 15,000 रूपये का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC)/बैंक गारंटी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पास जमा किया जाना है । नियोजित कर्मियों से एकरारनामा के लिए विधि विभाग द्वारा विधिक्षोपरान्त अनुमोदित एकरारनामा का प्रारूप इसके साथ संलग्न है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त के आधार पर नियोजन एवं पदस्थापन की कार्रवाई पूरा करते हुए विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

23.5.14

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 186087 पटना, दिनांक 23/05/2014

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.5.14

प्रधान सचिव